प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 178/2014

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक: 15.07.2025
निर्णय पारित करने का दिनांक: 13.10.2025

श्रीमती रगमनिया (मृतक), द्वारा विधिक प्रतिनिधि:
करीमन दास, आत्मज सुंदर दास, आयु लगभग 32 वर्ष,
निवासी पुहपुत्र, थाना एवं तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. **जगमते,** आत्मज बैगादास, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी पुहपुत्र, थाना एवं तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
2. **बुधियारो,** पति बैगादास, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी पुहपुत्र, थाना एवं तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा, जिला सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
3. **छत्तीसगढ़ राज्य,** द्वारा कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.), जिला सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से: श्री राहुल कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्र. 1 एवं 2 की ओर से: श्री दिव्यानंद पटेल, अधिवक्ता
राज्य की ओर से: श्री तारकेश्वर नंदे, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास
सी.ए.वी. निर्णय

1. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत यह द्वितीय अपील वादी द्वारा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, सरगुजा, अंबिकापुर द्वारा सिविल अपील क्रमांक 15–ए/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से विचारण न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, सरगुजा) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 181–ए/2005 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2008 की पुष्टि की गई है।

2. सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों को इसके पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 181–ए/2005 में दर्शाई गई उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2025 को निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्नों पर इस अपील को स्वीकार किया गया था:—

> "(1) क्या दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष न्यायोचित है अथवा नहीं कि वादी, वर्ष 2005 में संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अंतर्निहित पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी होने की हकदार नहीं है?
>
> (2) क्या दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष न्यायोचित है अथवा नहीं कि वादी और प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित नहीं होते हैं? "

4. दिनांक 15.07.2025 को इस न्यायालय द्वारा एक अतिरिक्त विधि का सारवान प्रश्न भी निर्मित किया गया जो निम्नानुसार है:—

> "यदि विभाजन वर्ष 1956 से पूर्व हो चुका है, तो क्या वादी उत्तराधिकार के माध्यम से वाद संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने की हकदार है? "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. वर्तमान अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में यह हैं कि वादी ने दिनांक 06.10.2005 को वादपत्र की अनुसूची–'अ' में वर्णित वाद भूमि के संबंध में स्वत्व की घोषणा एवं विभाजन हेतु एक दीवानी वाद मुख्य रूप से इन तर्कों के साथ प्रस्तुत किया था कि:—

(क) वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता, जिनका नाम बैगादास था, सगे भाई–बहन थे और वे हिन्दू विधि द्वारा शासित होते हैं। वादपत्र में परिवार की वंशावली का भी उल्लेख किया गया था। वादी का तर्क है कि सरगुजा रियासत के विलीनीकरण के पश्चात, ग्राम पुतपुतरा में स्थित भूमि वादी के दादा सुधिन और उनके भाई बुधऊ के नाम पर दर्ज की गई थी (जिसे इसके बाद "वाद संपत्ति" कहा जाएगा) और वे संयुक्त रूप से भूमि पर खेती कर रहे थे।

(ख) वादी का मामला यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता ने अपने जीवनकाल के दौरान नायब तहसीलदार, तहसील अंबिकापुर के समक्ष अपनी पुत्री जगमत के पक्ष में संपत्ति के विभाजन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था। जैसे ही वादी को ग्राम में समाचार पत्र के प्रकाशन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना मिली, वह तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुई और राजस्व प्रकरण क्रमांक 13–ए–27/2002–03 में आपत्ति दर्ज की तथा अपना नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना की। वादी का यह भी तर्क है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता ने स्वीकार किया था कि

वादी उनकी बहन है, परंतु यह तर्क दिया कि विवाह के पश्चात उसे वाद संपत्ति में हिस्सा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार ने तर्कों पर विचार करते हुए 23.08.2003 को वादी का नाम नामांतरण में दर्ज करने के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके कारण वादी को वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

6. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादपत्र में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अपना लिखित कथन (प्रतिवाद पत्र) प्रस्तुत किया और तर्क दिया कि सरगुजा सर्वेक्षण बंदोबस्त के दौरान वादी के पिता और उनके भाई बुधऊ को खसरा नंबर 13, क्षेत्रफल 6.85 एकड़ का पट्टा प्राप्त हुआ था। यह भी तर्क दिया गया कि वादी कभी भी वाद भूमि के किसी भी हिस्से पर काबिज नहीं रही है और सुधिनराम की मृत्यु के पश्चात, वादी का वाद भूमि पर कोई स्वत्व या अधिकार नहीं रहा, इसी कारण राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि क्योंकि सुधिनराम की मृत्यु वर्ष 1950–51 में हुई थी, अतः बैगादास को उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त हुई और वही वाद भूमि के आधिपत्य में रहा, इसलिए वाद भूमि में वादी का कोई अधिकार और हिस्सा नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि क्योंकि सुधिनराम की मृत्यु वर्ष 1950–51 में हुई थी, इसलिए अपीलार्थी और प्रतिवादी उत्तराधिकार के संबंध में पुरानी हिन्दू विधि द्वारा शासित होते हैं, और अंत में वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने कुल 7 विवाद्यक विरचित किए हैं, जो सुसंगत होने के कारण नीचे उद्धृत किए जाते हैं:–

1– क्या वादिनी स्व. सुदीन के उत्तराधिकारी हैं?

2– क्या वादी वादभूमि परि 'अ' 1/2 भाग विभाजन कराकर पाने के अधिकारिणी हैं?

3– क्या वादिनी का वाद परिसीमा काल से बाधित है?

4– क्या वादिनी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर उचित न्याय शुल्क चस्पा की है?

5– क्या वादिनी का वाद वर्तमान स्वरूप में पोषणीय है?

6– क्या प्रति–क्र.–1 वादिनी से दो हजार रु. क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं?

7– सहायता एवं व्यय।

8. वादी ने अपने मामले की पुष्टि हेतु स्वयं का (वा.सा.–1), शिवप्रसाद (वा.सा.–2), रामसुंदर (वा.सा.–3) का परीक्षण कराया है तथा दस्तावेज: आदेश दिनांक 23.08.2003 (प्रदर्श पी–

1), वादी की आपत्ति (प्रदर्श पी–2), जवाब (प्रदर्श पी–3), एवं किस्तबंदी खतौनी (प्रदर्श पी–4) प्रदर्शित किए हैं। प्रतिवादीगण ने अपने दावे की पुष्टि हेतु बुधियारो (प्र.सा.–1) का परीक्षण कराया तथा दस्तावेज: सरगुजा बंदोबस्त की प्रति (प्रदर्श डी–1) एवं अधिकार अभिलेख (प्रदर्श डी–2) प्रदर्शित किए हैं।

9. वादी (वा.सा.–1) ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत प्रदत्त शपथ–पत्र के माध्यम से अपने मुख्य परीक्षण में उन तर्कों को दोहराया है जो उसके द्वारा वादपत्र में लिए गए थे। इस साक्षी ने कथन किया है कि ग्राम पुहपुत्र में स्थित भूमि सरगुजा सर्वेक्षण बंदोबस्त के अनुसार वादी और बैगादास के संयुक्त नाम पर दर्ज थी। उसने आगे कहा कि उसके पिता की मृत्यु के पश्चात, उसके भाई बैगादास ने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम नामांतरित करवा लिया। उसने आगे यह भी बताया कि बैगादास ने संपत्ति के कुछ हिस्से में अपनी पुत्री का नाम नामांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था और इसकी सूचना उसे समाचार पत्र से प्राप्त हुई, जिसके पश्चात वह उपस्थित हुई और संपत्ति में अपना नाम दर्ज करने तथा अपने हिस्से का दावा करने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। परंतु तहसीलदार ने उसके आवेदन को निरस्त कर दिया और उसके विरुद्ध नामांतरण आदेश पारित करते हुए संपत्ति में प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज कर दिया। इस साक्षी ने आगे बताया कि बैगादास उससे 4–5 वर्ष छोटा था और उसके पिता सुधिनराम की मृत्यु के पश्चात उसके भाई बैगादास ने ही उसका विवाह संपन्न कराया था। उसने आगे कथन किया कि राजस्व अभिलेखों में उसका नाम बैगादास के नाम के साथ दर्ज था, परंतु बाद में बैगादास ने राजस्व अभिलेखों से उसका नाम विलोपित (हटा) दिया था और उस समय बैगादास जीवित था तथा वह संपूर्ण विवादित भूमि से आय अर्जित करता था, और उसके भाई के जीवित रहते ही उसकी बहू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. शिवप्रसाद (वा.सा.–2) और रामसुंदर (वा.सा.–3) ने उन तर्कों को दोहराया है जो वादी द्वारा वादपत्र में लिए गए थे। वा.सा.–3 ने अपने प्रति–परीक्षण में स्वीकार किया है कि साक्ष्य दर्ज करने की तिथि अर्थात् 17.10.2008 से 60 वर्ष पूर्व सुधिन की मृत्यु हो गई थी।

11. प्रतिवादी (प्र.सा.–1) ने व्य. प्र. सं. के आदेश 18 नियम 4 के प्रावधानों के तहत शपथ–पत्र के माध्यम से अपने मुख्य परीक्षण में उन तर्कों को दोहराया है जो उसके द्वारा प्रतिवाद पत्र में लिए गए थे। इस साक्षी ने कथन किया है कि खसरा नंबर 11, क्षेत्रफल 6.85 एकड़ भूमि उसके दादा सुधिन और चाचा बुधऊ को सरगुजा सर्वेक्षण बंदोबस्त से प्राप्त हुई थी और सुधिन तथा बुधऊ की मृत्यु के पश्चात, खसरा नंबर 12, क्षेत्रफल 4.83 एकड़ भूमि बैगादास के नाम पर दर्ज की गई थी। दिवंगत बैगादास उक्त भूमि का एकमात्र अधिभोगी था, जिस पर वह अपनी अंतिम सांस तक कृषि

कार्य करता रहा। वादी ने कभी भी विवादित भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कथन किया है कि सुधिन की मृत्यु के पश्चात, विवाहित पुत्री को कोई भी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उसने आगे बताया कि अपने जीवनकाल के दौरान, बैगादास ने भूमि के कुछ हिस्से में अपनी पुत्री का नाम नामांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जहाँ वादी ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज की थी कि उसे सह–अंशधारी के रूप में विभाजन में भूमि दी जानी चाहिए। रगमनिया की आपत्ति को तहसीलदार ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह उक्त भूमि में सह–अंशधारी नहीं थी।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात, अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2008 के माध्यम से वाद को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि क्योंकि वादी के पिता स्वर्गीय सुधिन की मृत्यु वर्ष 1950–51 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पूर्व हुई थी, अतः वाद संपत्ति में हिस्सा प्रदान करने हेतु वादी के दावे पर विचार करने के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, और इस प्रकार वादी स्वर्गीय सुधिन की संपत्ति विरासत में प्राप्त करने की हकदार नहीं है। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर, वादी ने द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, सरगुजा अंबिकापुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2014 को पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर, वादी ने व्य. प्र. सं. की धारा 100 के तहत यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है, जिसे इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित विधि के सारवान प्रश्नों पर स्वीकार किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जिनकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है, दोषपूर्ण एवं अभिलेख के विपरीत हैं। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वर्ष 1956 के हिंदू विधि की प्रयोज्यता के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है, विशेष रूप से तब जब वादी और प्रतिवादी वर्ष 2003 में विवाद उत्पन्न होने तक वाद संपत्ति के संयुक्त आधिपत्य में थे, और अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने से पूर्व की पुरानी हिंदू विधि के प्रावधानों को लागू करना अवैध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय गलत तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुरानी हिंदू विधि के अनुसार संपत्ति में वादी का कोई हिस्सा नहीं है, जबकि अपने पिता की मृत्यु के समय वादी 10 वर्ष की थी और उसे जन्म से ही अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हुआ था, अतः यह निष्कर्ष तथ्यों के प्रतिकूल है और इसी दोषपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, इसलिए अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

14. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि मूल वादी के पिता और प्रतिवादी क्रमांक 1 के दादा के जीवनकाल के दौरान न तो मूल वादी वाद संपत्ति के किसी हिस्से के आधिपत्य में थी और न ही उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि सुधिन की मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी वाद संपत्ति के आधिपत्य में थी, फिर भी संपूर्ण अभिलेख में सुधिन की पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह पता चले कि सुधिन की पत्नी की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद हुई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 'हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937' की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि पति की मृत्यु के बाद, विधवा का अपने पति की संपत्ति में सीमित हित होगा और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, यदि वह संपत्ति के निरंतर आधिपत्य में थी, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अनुसार, विधवा का संपत्ति पर सीमित अधिकार/हित पूर्ण अधिकार (भूस्वामी) में परिवर्तित हो जाएगा। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि मूल वादी और उसके गवाहों के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मूल वादी का भाई बैगादास वाद संपत्ति के आधिपत्य में था और उसके बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 वाद संपत्ति के आधिपत्य में हैं। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि वादी को यह तथ्य सिद्ध करना था कि उसकी माता वाद संपत्ति के आधिपत्य में थी या सुधिन की मृत्यु के बाद उसने उसे उत्तराधिकार में प्राप्त किया या अर्जित किया था, परंतु वर्तमान मामले में अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि वादी की मृत्यु हो चुकी है और उसके विधिक प्रतिनिधि करीमन दास को दिनांक 17.05.2005 के वसीयतनामा के आधार पर प्रतिस्थापित किया गया था। वसीयत विलेख में, वादी द्वारा संपूर्ण संपत्ति वर्तमान अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत कर दी गई है, जो उसके हिस्से से अधिक है और वह संपत्ति में केवल 1/2 हिस्से का ही निष्पादन कर सकती थी, अतः अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का पूर्ण संतोष के साथ परिशीलन किया है।

16. क्योंकि विधि के तीनों सारवान प्रश्न एक–दूसरे से परस्पर जुड़े हुए और परस्पर निर्भर हैं, अतः तथ्यों और विधि की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, इस न्यायालय द्वारा निर्मित विधि के तीनों सारवान प्रश्नों का निर्णय मामले के तर्कों, विधि और तथ्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण करते हुए किया जा रहा है।

17. वर्ष 2005 में संशोधित धारा 6 के अनुसार वाद संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने के हक का दावा करने के लिए, वादी को सबसे पहले यह अभिवचन करना चाहिए और सिद्ध करना चाहिए कि पक्षकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होते हैं। वादपत्र में किए गए अभिवचनों के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने कहीं भी यह अभिवचन नहीं किया है कि सुधिन की मृत्यु कब हुई, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाजन का मार्ग खुला है; जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने लिखित कथन में यह विशिष्ट दलील ली है कि वादी के पिता की मृत्यु वर्ष 1950–51 में हुई थी, अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता संपूर्ण वाद संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने के हकदार हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रयोज्यता को बाहर करने के लिए प्रतिवादी द्वारा किए गए विशिष्ट कथन के बावजूद, वादी ने अपने अभिवचनों में संशोधन करके कोई स्टैंड नहीं लिया है। वादी (वा.सा.–1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, लेकिन उसके द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि वादी और प्रतिवादी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होते हैं। यहाँ तक कि वादी के गवाह क्रमांक 3 रामसुंदर, जिनकी आयु विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दर्ज करने की तिथि 17.10.2008 को लगभग 70 वर्ष थी, ने प्रति–परीक्षण में स्वीकार किया है कि सुधिन की मृत्यु 60 वर्ष पहले हुई थी और उस समय वह 10 वर्ष का था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह वादी रगमनिया को जानता था जो उससे 10–12 वर्ष बड़ी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. बुधियारो (प्र.सा.–1) ने शपथ–पत्र के माध्यम से अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सुधिन की मृत्यु के समय, विवाहित पुत्री का पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। इस साक्षी का वादी द्वारा प्रति–परीक्षण किया गया और कंडिका–11 में उसने स्वीकार किया है कि वे हिन्दू धर्म का पालन करते थे, परंतु उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या पुत्री अपने पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति पर किसी अधिकार का दावा करने की हकदार है।

19. उपरोक्त साक्ष्य, विशेष रूप से इस निर्विवाद तथ्य से कि वादी के पिता सुधिन का निधन वर्ष 1950–51 में, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से काफी पहले हुआ था, यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार 'पुरानी हिन्दू विधि' के तहत खुलता है और पक्षकार 'मिताक्षरा विधि' द्वारा शासित होंगे, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्श नूर सिंह बनाम हरपाल कौर एवं अन्य**, 2020 (14) SCC 436 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

7.1. मुल्ला ने हिन्दू विधि पर अपनी टिप्पणी (22 वाँ संस्करण) में मिताक्षरा विधि के तहत उत्तराधिकार के संबंध में स्थिति को इस प्रकार बताया है:

पृष्ठ 129; –

"एक पुत्र, एक पौत्र जिसका पिता मृत हो, और एक प्रपौत्र जिसके पिता और पितामह (दादा) दोनों मृत हों, मृतक की पृथक या स्व–अर्जित संपत्ति के लिए उत्तरजीविता के अधिकारों के साथ एकल उत्तराधिकारी के रूप में एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं।"

पृष्ठ 327

"एक हिन्दू पुरुष द्वारा अपने पिता, पिता के पिता (पितामह) या पिता के पिता के पिता से विरासत में प्राप्त सभी संपत्ति पैतृक संपत्ति है। मिताक्षरा विधि के अनुसार पैतृक संपत्ति की अनिवार्य विशेषता यह है कि उसे विरासत में प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, उनके जन्म के क्षण से ही ऐसी संपत्ति में हित और उससे जुड़े अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अपने तीन तत्काल पितृ पूर्वजों से संपत्ति विरासत में प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसे अपने पुत्रों, पुत्र के पुत्रों और पुत्र के पुत्र के पुत्रों के साथ सहदायिकी में धारण करता है, और उसे ऐसा ही धारण करना चाहिए, परंतु अन्य संबंधियों के संबंध में, वह इसे अपनी पूर्ण संपत्ति के रूप में धारण करता है और धारण करने का हकदार है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.2. **श्याम नारायण प्रसाद बनाम कृष्ण प्रसाद एवं अन्य** में इस न्यायालय ने हाल ही में अभिनिर्धारित किया है कि:

"12. यह सुस्थापित है कि एक हिन्दू पुरुष द्वारा अपने पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता से विरासत में प्राप्त संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है। मिताक्षरा विधि के अनुसार, पैतृक संपत्ति की अनिवार्य विशेषता यह है कि उसे विरासत में प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, उनके जन्म

के समय से ही ऐसी संपत्ति में हित और उससे जुड़े अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। पैतृक संपत्ति के विभाजन पर एक सहदयी को जो हिस्सा प्राप्त होता है, वह उसकी पुरुष संतति के संबंध में पैतृक संपत्ति होती है। विभाजन के बाद, पुत्र के हाथों में संपत्ति पैतृक संपत्ति बनी रहेगी और उस पुत्र का प्राकृतिक या दत्तक पुत्र इसमें हित प्राप्त करेगा और उत्तरजीविता द्वारा इसका हकदार होगा।" (बल दिया गया)

7.3. मिताक्षरा विधि के तहत, जब भी कोई पितृ पूर्वज अपने से ऊपर तीन पीढ़ियों तक के किसी भी पितृ पूर्वज से कोई संपत्ति विरासत में प्राप्त करता है, तो उसके नीचे तीन पीढ़ियों तक के उसके पुरुष विधिक वारिसों को उस संपत्ति में सहदयी के रूप में समान अधिकार प्राप्त होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.4. **युधिष्ठिर बनाम अशोक कुमार** में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

20."10. इस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा **कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स, कानपुर एवं अन्य बनाम चंदर सेन एवं अन्य** [1986] 161 ITR 370 (SC) में विचार किया गया है, जहाँ हम में से एक (सब्यसाची मुखर्जी, न्यायमूर्ति) ने टिप्पणी की थी कि हिन्दू विधि के तहत, पुत्र के जन्म लेते ही उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल जाता है और वह सहदायिकी का हिस्सा बन जाता है। उसका अधिकार उसे पिता की मृत्यु या पिता से उत्तराधिकार प्राप्त होने पर नहीं, बल्कि उसके जन्म के तथ्य मात्र से प्राप्त होता है। इसलिए सामान्यतः, जब भी पिता को किसी भी स्रोत से, पितामह से या किसी अन्य स्रोत से संपत्ति प्राप्त होती है, चाहे वह पृथक संपत्ति हो या नहीं, उसके पुत्र का उसमें हिस्सा होना चाहिए और वह उसके पुत्र, पौत्र और अन्य सदस्यों, जो उसके साथ संयुक्त हिन्दू परिवार बनाते हैं, के संयुक्त हिन्दू परिवार का हिस्सा बन जाएगी। इस न्यायालय ने अवलोकन किया कि यह स्थिति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 द्वारा प्रभावित हुई है और इसलिए, अधिनियम के बाद, जब पुत्र ने धारा 8 द्वारा परिकल्पित स्थिति में संपत्ति विरासत में प्राप्त की, तो वह उसे अपने अविभक्त परिवार के कर्ता के रूप में नहीं लेता है, बल्कि उसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लेता

है।" (बल दिया गया)

7.5 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, इस स्थिति में परिवर्तन आया है। वर्ष 1956 के पश्चात, यदि कोई व्यक्ति अपने पितृ पूर्वजों से स्व–अर्जित संपत्ति विरासत में प्राप्त करता है, तो उक्त संपत्ति उसकी स्व–अर्जित संपत्ति बन जाती है, और सहदायिकी संपत्ति नहीं रहती।

7.6 यदि उत्तराधिकार पुरानी हिंदू विधि के तहत खुला है, अर्थात् हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने से पूर्व, तो पक्षकार मिताक्षरा विधि द्वारा शासित होंगे। एक हिंदू पुरुष द्वारा अपने पितृ पुरुष पूर्वज से विरासत में मिली संपत्ति उसके पास उसके नीचे तीन पीढ़ियों तक के पुरुष वंशजों के संबंध में सहदायिकी संपत्ति होगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने के बाद भी संपत्ति की प्रकृति सहदायिकी संपत्ति के रूप में बनी रहेगी।

20. अतः यह अत्यंत स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में सुधिन की मृत्यु 1956 से पूर्व हुई थी, इसलिए विभाजन करना संभव हो गया है और यह मिताक्षरा विधि द्वारा शासित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अब इस न्यायालय द्वारा विरचित विधि के सारवान प्रश्न का मूल्यांकन करने के लिए, इस न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या वाद के पक्षकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 या मिताक्षरा विधि द्वारा शासित होते हैं। केवल वा.सा.–3 के साक्ष्य से ही यह काफी स्पष्ट है कि वादी के पिता सुधिन की मृत्यु साक्ष्य दर्ज करने के समय अर्थात् 17.10.2008 से 60 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसका अर्थ है लगभग वर्ष 1948–49; जिसे प्रतिवादियों द्वारा दाखिल लिखित कथन में किए गए अभिवचन से समर्थन मिलता है जिसमें उन्होंने विशिष्ट तर्क दिया है कि सुधिन की मृत्यु वर्ष 1950–51 में हुई थी, जिसका अभिवचन में संशोधन करके या उसके खंडन हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करके खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्य का यह निष्कर्ष सही दर्ज किया है कि सुधिन की मृत्यु वर्ष 1950–51 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमन से पूर्व हुई थी, अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है।

22. क्योंकि सुधिन की मृत्यु 1950–51 में हुई थी, इसलिए हिंदू की संपत्ति का उत्तराधिकार मिताक्षरा विधि द्वारा शासित होगा और हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1929 हिंदू परिवार के पुरुष सदस्य के उत्तराधिकार के अधिकार को नहीं बदलेगा। इस विधिक स्थिति की जांच करने के लिए, इस न्यायालय के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को देखना उचित होगा।

अधिनियम की धारा 1, विधि के संक्षिप्त नाम और विस्तार से संबंधित है और यह आगे बताती है कि उक्त अधिनियम ऐसे व्यक्तियों पर केवल पुरुषों की उस संपत्ति के संबंध में लागू होता है जो सहदायिकी में धारित न हो और जिसका वसीयत द्वारा निराकरण न किया गया हो।

23. धारा 2 प्रवर्तक प्रावधान है, जबकि धारा 3 एक व्यावृत्ति प्रावधान के रूप में कार्य करती है। धारा 2 और 3 इस प्रकार हैं:

> "**धारा 2:** पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री, बहन और बहन के पुत्र, इसमें विनिर्दिष्ट क्रम में, पिता के पिता (दादा) के ठीक बाद और पिता के भाई (चाचा) से पहले उत्तराधिकार के क्रम में स्थान पाने के हकदार होंगे:
> परंतु यह कि बहन के पुत्र में बहन की मृत्यु के पश्चात गोद लिया गया पुत्र शामिल नहीं होगा।
>
> **धारा 3:** इस अधिनियम की कोई भी बात—
> (क) विधि का बल रखने वाली किसी विशेष पारिवारिक या स्थानीय प्रथा को प्रभावित नहीं करेगी, या
>
> (ख) पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री या बहन में उस संपदा से बड़ी या भिन्न प्रकार की संपदा निहित नहीं करेगी, जो मिताक्षरा विधि की उस शाखा के अनुसार जिससे वह पुरुष शासित था, पुरुष से विरासत में मिली संपत्ति में एक महिला के पास होती है, या
>
> (ग) एक से अधिक व्यक्तियों को एक मृत हिंदू पुरुष की संपदा के उत्तराधिकार में सक्षम नहीं बनाएगी जो प्रथागत या उत्तराधिकार के अन्य नियम द्वारा एकल उत्तराधिकारी को जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. धारा 1 और 2 का धारा 3 (ख) और (ग) के साथ संयुक्त पठन यह स्पष्ट करता है कि विधि का उद्देश्य केवल कुछ उत्तराधिकारियों को पिता के पिता के ठीक बाद उत्तराधिकार के क्रम में स्थान देना था, न कि अन्य उत्तराधिकारियों के किसी भी वरिष्ठ अधिकारों को सीमित करना। धारा 2 आगे वंशजों की एक मौजूदा पंक्ति की पूर्वकल्पना करती है और पिता के पिता और पिता के भाई पहले से ही उस पंक्ति में स्थान रखते थे। अधिनियम में पुत्री के अधिकारों के संबंध में या उसे पुत्र के समान दर्जा देने के बारे में कुछ भी नहीं है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अरुणाचल गौंडर (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम पोन्नुसामी एवं अन्य**, 2022

(11) SCC 520 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, जिसके कंडिका 50 और 51 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:—

"50. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1929 सबसे पहला वैधानिक विधान था जिसने हिन्दू महिलाओं को उत्तराधिकार की योजना में शामिल किया। 1929 के अधिनियम ने कुछ महिला वैधानिक उत्तराधिकारियों को पेश किया जिन्हें मद्रास शाखा द्वारा पहले से ही मान्यता प्राप्त थी, जैसे कि पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री, बहन और बहन के पुत्र, जिन्हें विनिर्दिष्ट क्रम में रखा गया था। इसमें उत्तराधिकार से संबंधित शास्त्रीय हिन्दू विधि की मूलभूत अवधारणाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया था; एकमात्र अंतर यह था कि अधिनियम से पहले वे 'बंधु' के रूप में उत्तराधिकारी होते थे, जबकि अधिनियम के तहत वे 'गोत्र सपिण्ड' के रूप में विरासत प्राप्त करने लगे।

51. मिताक्षरा विधि भी उत्तराधिकार के माध्यम से विरासत को मान्यता देती है, परंतु केवल किसी पुरुष या महिला द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाली पृथक संपत्ति के संबंध में। मिताक्षरा विधि द्वारा महिलाओं को इस प्रकार की संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1929 से पहले, मिताक्षरा की बंगाल, बनारस और मिथिला उप–शाखाएं केवल पांच महिला रिश्तेदारों को उत्तराधिकार का पात्र मानती थीं, जो थीं – विधवा, पुत्री, माता, दादी और परदादी। मद्रास उप–शाखा ने बड़ी क्रमांक में महिला उत्तराधिकारियों की उत्तराधिकार क्षमता को मान्यता दी थी, जिसमें पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री और बहन शामिल थीं, जिन्हें हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1929 में स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बॉम्बे और मद्रास में पुत्र की पुत्री और पुत्री की पुत्री को 'बंधु' का दर्जा प्राप्त था। बॉम्बे शाखा, जो महिलाओं के प्रति सबसे उदार है, ने कई अन्य महिला उत्तराधिकारियों को मान्यता दी थी, जिनमें सौतेली बहन, बुआ (पिता की बहन) और परिवार में विवाहित महिलाएं जैसे कि सौतेली माँ, पुत्र की विधवा, भाई की विधवा और 'बंधु' के रूप में वर्गीकृत कई अन्य महिलाएं शामिल थीं। उपरोक्त चर्चाओं से यह प्रचुर मात्रा में स्पष्ट है कि एक पुत्री वास्तव में पिता की पृथक संपदा को विरासत में प्राप्त करने में सक्षम थी।

25. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 1929 के अधिनियम का उद्देश्य उत्तराधिकार से संबंधित शास्त्रीय हिन्दू विधि की मूलभूत अवधारणाओं को संशोधित करना नहीं था। इसने जो एकमात्र अंतर पेश किया, वह यह था कि पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री, बहन आदि के उत्तराधिकार की संभावना को पहले की तुलना में एक अलग क्षमता में मान्यता दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अब इस न्यायालय को यह परीक्षण करना है कि अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने से पूर्व मिताक्षरा उत्तराधिकार विधि द्वारा शासित व्यक्ति की संपत्ति का न्यागमन किस प्रकार होता था। यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि मिताक्षरा विधि के अनुसार, अधिनियम, 1956 के अधिनियमन से पूर्व पुत्री अपने पिता की संपत्ति विरासत में प्राप्त करने की हकदार नहीं है। हिन्दुओं की संपत्ति का उत्तराधिकार, चाहे वह पैतृक हो या स्व–अर्जित, हिन्दू विधि के उन विशुद्ध सिद्धांतों द्वारा शासित होता था जो शास्त्रीय ग्रंथों और स्मृतियों में सन्निहित थे। मिताक्षरा विधि के तहत, एक पुरुष की स्व–अर्जित संपत्ति भी विशेष रूप से उसकी पुरुष संतति पर न्यागमित होती थी, और केवल ऐसी पुरुष संतति के अभाव में ही वह अन्य उत्तराधिकारियों के पास जाती थी। उत्तराधिकार के नियम के अनुसार, एक पुरुष की स्व–अर्जित संपदा उसकी पुरुष संतति को प्राप्त होती थी और ऐसी संतति के व्यतिक्रम (अभाव) की स्थिति में ही वह दूसरों को हस्तांतरित होती थी।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'अरुणाचल गौंडर' (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित विधि से यह अत्यंत स्पष्ट है कि, वर्ष 1956 से पूर्व मरने वाले और विशुद्ध मिताक्षरा विधि द्वारा शासित व्यक्ति पर लागू उत्तराधिकार की मिताक्षरा विधि के अनुसार, पुरुष की पत्नी या पुत्री उसकी पृथक संपत्ति को केवल तभी विरासत में प्राप्त करेगी जब उसकी मृत्यु बिना किसी पुरुष संतान के हुई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 'घुरपतरी एवं अन्य बनाम सम्पति एवं अन्य', [ए.आई.आर. 1976 इला. 195] के मामले में भी इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या ऐसी कोई प्रथा, जिसके तहत पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति विरासत में प्राप्त करने से अपवर्जित (बाहर) किया गया है, विवक्षा द्वारा पुत्री की संतति (पुरुष और महिला दोनों) को भी ऐसे उत्तराधिकार से अपवर्जित कर सकती है। न्यायालय ने निर्वसीयती मरने वाले हिन्दू पुरुष की विधवा या पुत्री के उत्तराधिकार के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं। निर्णय के कंडिका–17 के नीचे उल्लेख किया जा रहा है।

> "17. विधवा और पुत्री द्वारा उत्तराधिकार से संबंधित नियम प्राचीन काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किए गए थे और अंततः विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरा में विस्तृत रूप से समझाए गए थे। हम कोलब्रुक के अनुवाद से उद्धृत कर सकते हैं। कात्यायन ने कहा था, 'विधवा को उसके पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने दिया जाए, बशर्ते वह चरित्रवान हो; और उसके अभाव में पुत्री उत्तराधिकारी होगी यदि वह विवाहित हो।'

बृहस्पति ने कहा, 'पत्नी को उसके पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी घोषित किया गया है; और उसके अभाव में पुत्री; जैसे एक पुत्र, वैसे ही एक व्यक्ति की पुत्री उसके विभिन्न अंगों से उत्पन्न होती है, तो फिर कोई अन्य व्यक्ति पिता की संपत्ति कैसे ले सकता है?' विष्णु ने यह व्यवस्था दी, 'यदि कोई व्यक्ति न तो पुत्र, न पौत्र, न पत्नी और न ही महिला संतान छोड़ता है, तो पुत्री का पुत्र उसकी संपत्ति लेगा, क्योंकि पूर्वजों के अंत्येष्टि संस्कार के संबंध में, पुत्री के पुत्र को पौत्र के समान माना जाता है।' मनु ने भी इसी प्रकार घोषित किया कि 'एक पुरुष संतान द्वारा, जो पुत्री हो, चाहे वह औपचारिक रूप से नियुक्त हो या न हो, एक समान वर्ग के पति से उत्पन्न पुत्र के माध्यम से नाना, पौत्र का दादा बन जाता है, उस पुत्र को पिंडदान करने दें और उत्तराधिकार प्राप्त करने दें'। इस प्रकार मिताक्षरा विधि में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए पुत्री और पुत्री के पुत्र के अधिकार को अच्छी तरह से मान्यता दी गई थी। उत्तराधिकार के क्रम में पुत्री पाँचवें स्थान पर और पुत्री का पुत्र छठे स्थान पर आता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अतः उपरोक्त चर्चा से और विधिक स्थिति पर विचार करते हुए, यह अत्यंत स्पष्ट है कि जब मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी हिंदू की मृत्यु 1956 से पहले होती थी, तो उसकी पृथक संपत्ति पूरी तरह से उसके पुत्र पर न्यागमित होती थी। एक महिला संतान ऐसी संपत्ति में अधिकार का दावा केवल पुत्र के अभाव में ही कर सकती थी। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1929 ने अपने पिता की संपत्ति विरासत में प्राप्त करने के पुत्र के पूर्ण अधिकार को प्रभावित नहीं किया। इसने केवल पुरुष संतान के व्यतिक्रम (अभाव) की स्थिति में उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले वारिसों के दायरे को बढ़ाया, जिसमें कुछ महिला उत्तराधिकारियों और बहन के पुत्र को शामिल किया गया।

30. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में और अभिलेख पर लाए गए विधि और साक्ष्यों पर विचार करते हुए, निर्विवाद रूप से पक्षकार हिंदू मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हैं क्योंकि सुधिन की मृत्यु 1956 से पहले हुई थी। उनकी मृत्यु पर, उनकी स्व–अर्जित संपत्ति पूरी तरह से बैगादास पर न्यागमित होगी। बैगादास ने वाद अनुसूची संपत्ति पर अपने अधिकारों को प्रतिवादीगण को सही ढंग से हस्तांतरित किया है, अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के नाम पर वाद संपत्ति का नामांतरण करने में कोई अवैधता नहीं है। उक्त परिस्थितियों में, मुझे आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, जिसमें सही ढंग से यह माना गया था कि संपत्ति विभाज्य नहीं है।

31. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय द्वारा विरचित विधि के सारवान प्रश्नों का उत्तर वादी के विरुद्ध और प्रतिवादीगण के पक्ष में दिया जाना उचित है। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

32. वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है। डिक्री तैयार की जाए।

सही /–

(नरेन्द्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur